# GST: एक बड़ा कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु

डॉ. मीनाक्षी कुमावत

**सर्वे भवन्तु सुखिनः**
**सर्वे सन्तु निरामया :**
**सर्वे भद्वाणी पश्चयतु**
**मां कस्चिद दुःख भाग्भवंत**

**परिचय**

इसी भावना से प्रभावित हमारा भारत राष्ट्र है जो विकास के रथ पर आरूढ़ हैं। जिसकी महाशक्ति इसके सुदृढ़ संविधान व प्रभावी युवा लोकतंत्र में समाहित हैं। वसुदैव कुटुम्बकम् की भावना को साथ लेकर चलने वाले हमारे भारत देश में 1 जुलाई 2017 का दिन स्वर्णिम इतिहास से लिखा गया। क्योंकि इस दिन सम्पूर्ण भारतदेश में माल एवं सेवा कर (ळैज) लागू कर दिया गया। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच समान व्यवहार के लिए कर प्रणाली की एकल व्यवस्था की जरूरतों का पूरा करने के लिए बनाया गया कर हैं। जिसका मूल विषय करों की दर कम करना है। जीएसटी स्वतंत्र भारत के इतिहास में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार हैं। जीसएटी एक देश, एक कर तथा एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है एवं इसके आने से देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यन्त सरल एवं सुगम हो जायेगी। देश की अर्थव्यवस्था में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जीएसटी लागू होने से कर के ऊपर कर लगने की वर्तमान व्यवस्था कम होगी तथा जिससे कीमतों में कमी आयेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कर है, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर लगाया जायेगा। इसके लागू होने से उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर, सेवा कर जैसे केन्द्रीय कर तथा राज्य कर के बिक्री कर या वैट, एन्ट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टैलीकॉम लाईसेन्स फीस, टर्नओवर टैक्स एवं वस्तु स्थानान्तरण पर लगने वाले टैक्स इत्यादि समाप्त हो जाएगे। जिससे वस्तु एवं सेवा के क्रय पर दिये जाने वाले कर को उनकी पूर्ति पर दिये गये कर के मुकाबले समायोजित कर लिया जायेगा। हालांकि यह कर अन्त में ग्राहक को ही देना होगा, क्योंकि वही पूर्ति श्रृंखला में अन्तिम कड़ी होता है।

अतः यह मान सकते है कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यस्था के सशक्तीकरण की दशा में बड़ा कदम हो सकता हैं।

**मुख्य बिन्दु :–** जीएसटी, कर, बाजार, अर्थव्यवस्था, आम आदमी, जीडीपी, जीवीए।

**उद्देश्य**

भारत सरकार का देश में जीएसटी व्यवस्था लागू करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर हो तथा हर करदाता का एक ही अभिकलन हो। पूर्ववर्ती कर प्रणाली में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा करारोपण किया जा रहा था, उसके कारण कई वस्तुओं पर दोहरा करारोपण हो रहा था व केन्द्र का कर चुकाने पर उसका समायोजन राज्यों द्वारा नहीं दिया जाता था एवं राज्यों द्वारा कर चुकाने पर उस का समायोजन केन्द्र द्वारा नहीं दिया जाता था। जिससे 'मुद्रा स्फीति चलन' बढ़ता था। इसलिए यह विचार किया गया कि देश को एक इकोनॉमिक मार्केट कर दिया जाये, सारे देश में एक यूनिफार्म रेट हो, एक करदाता का केवल एक अधिकारी के साथ अभिकलन हो। जीएसटी में सैल्फ एसेसमेन्ट की व्यवस्था को अपनाया गया हैं। जिससे देश में एक सरल कर प्रणाली कायम की जा सकेगी।

**जीएसटी–कार्यप्रणाली**

पूर्व में पूतिकर्ताओं को करीब 17 अलग–अलग अप्रत्यक्ष करों के भुगतान करने पड़ते थे। इसमें केन्द्र के कर जैसे &Centre

Excise, Service Tax, Countervailing Duty (CVD), Special Additional Duty (SAD) इत्यादि शामिल थे तथा राज्य के कर जैसे Vat, Luxury Tax, CST, Entertainment Tax, Entry Tax इत्यादि शामिल थे।

वर्तमान में 17 केन्द्र व राज्यों के करों का ळैज् नामक एक कर में सम्मिलित कर दिया गया हैं। सम्पूर्ण देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दर एवं इससे जुड़े हुए नियम, प्रक्रियाये एक जैसी होगी। छूट सूची भी एक ही होगी। इससे एक देश, एक कर एवं एक बाजार की संकल्पना साकार होगी। अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों में भी आई.टी.सी. ;प्दचनज ज्ंग ब्तमकपजद्ध मिलने की वजह से कर पर कर नहीं लगेगा और व्यापक प्रभाव हट जायेगा। अप्रत्यक्ष करों के एकीकरण एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण से अनुपालन लागत में कमी आने की संभावना हैं।

इस प्रकार एक सशक्त आयकर प्रणाली कर दाता एवं कर अधिकारियों के बीच के अभिकलन को कम कर देगी।

## जीएसटी में सम्मिलित होने वाले कर

जीएसटी में पूर्व में लागू केन्द्र एवं राज्यों के कुल 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर समाहित हुए। जिसमें 09 अप्रत्यक्ष कर राज्यों के तथा 08 अप्रत्यक्ष कर केन्द्र के हैं। जो निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है :–

| राज्यों के कर | केन्द्र के कर |
|---|---|
| वैट/बिक्री कर | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क |
| मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित कर के अलावा) | अतिरिक्त उत्पाद शुल्क |
| विलासिता कर | सेवा कर |
| लॉटरी, सट्टे व जुए पर कर | औषधीय और शौषालय तैयार अधिनियम के तहत आवेशित उत्पाद शुल्क |
| प्रवेश कर | अतिरिक्त सीमा शुल्क |
| केन्द्रीय बिक्री कर (केन्द्र द्वारा आरोपित एवं राज्यो द्वारा वसूल) | विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क |
| क्रो के साथ में राज्यों द्वारा आरोपित सेंस तथा अधिभार (सरचार्ज) | इन करों के साथ में केन्द्र द्वारा आरोपित सेंस तथा अधिभार (सरचार्ज) |

जीएसटी के अन्तर्गत छोटे व्यापारियों के लिए रचना लेवी की सुविधा प्रदान की जायेगी। जीएसटी व्यस्था में ऐसे छोटे डीलर जिनका वार्षिक टर्नओवर रू. 75 लाख तक है वे जीएसटी के भुगतान के स्थान पर रचना लेवी के भुगतान का चुनाव कर सकते हैं। जीएसटी व्यवस्था में रचना लेवी की कर दरे इस प्रकार है :–

| कर दाता | दर (एसजीएसटी राज्यों) | दर (सीजीएसटी केन्द्र) | कुल |
|---|---|---|---|
| व्यापारी | 0ण्5: | 0ण्5: | 1: |
| उत्पादक | 1ण्0: | 1ण्0: | 2: |
| रेस्त्रा | 2ण्5: | 2ण्5: | 5: |

यह अनुमान है कि वर्तमान वैट प्रणाली की अपेक्षा जीएसटी में आईटीसी का प्रवाह अधिक निर्बाध रूप से होगा जो उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए लाभकारी होगा।

प्रारम्भ में लगाई कर दरों में फेरबदल कर भारत सरकार ने जीएसटी कार्यप्रणाली को ओर सुगम कर दिया हैं। जीएसटी परिषद् की 10 नवम्बर, 2012 को गुवाहाटी में सम्पन्न (23वीं) बैठक में लिए गए निर्णय के तहत दैनिक उपभोग की 178 श्रेणी की वस्तुओं पर यह टैक्स 28: से घटाकर 18: किया गया हैं। इससे 28: कर की श्रेणी में अब केवल 50 श्रेणी के उत्पाद ही रह गए हैं। 35 श्रेणियों के अन्य उत्पादों पर भी कर की दरे घटाने का निर्णय लिया गया, जिनमें 2 उत्पादों पर जीएसटी को 28: से घटाकर 12: तथा 13 श्रेणी के उत्पादों पर 18: से घटाकर 12: किया गया हैं। रेस्त्रा में खाने पर भी कर की दर घटाकर 5: कर दिया गया है जो आम व्यक्तियों को एक राहत भरा कदम हैं। दरों में इन कटौतियों से सरकार को होने वाली सालाना राजस्व हानि लगभग रू. 20 हजार करोड़ अनुमानित हैं। फिर भी सरकार भारतीय जनता व व्यापारियों को राहत प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं। अतः यह आशा कि जा सकती है कि वस्तु एवं सेवा कर गरीबों की गरीबी दूर करने में सहायक सिद्व हो तथा आम इंसान को सभी भौतिक सुविधाऐं आसानी से प्राप्त हो सकें।

**भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा**

अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने की दिशा में किए गए एक प्रयास के तहत् जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। जीएसटी से सहयोग परक संघवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार व हेराफेरी में कमी आएगी। जीएसटी से कर संरचना सरल बनेगी तथा देशभर में कर दरों में एकरूपता स्थापित होगी। जीएसटी से साझा राष्ट्रीय बाजार बनेगा। वस्तुतः जीएसटी कालेधन पर किया गया बड़ा हमला है क्योंकि अब प्रत्येक व्यापारी को अपना पंजीकरण कराना होगा तथा जीएसटी–आईएन हासिल करना होगा। जीएसटी से विलासिता की वस्तुएँ महँगी हो गई व जन उपयोगी मदें सस्ती हो गई हैं।

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था का धनी राष्ट्र हैं। जिस की अर्थव्यस्था पर दुनिया के सभी विकसित व विकासशील राष्ट्रों की नज़रें टिकी हुई हैं। जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय अर्थव्यस्था में कई उतार–चढ़ाव आये हैं। वर्ष 2017–2018 की पहली व दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्वि व कमी इस बात को साबित करती हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2017–2018 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितम्बर, 2017) (जीएसटी लागू होने के बाद की तिमाही) के जीडीपी सम्बंधी आँकड़े केन्द्र सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय में 30 नवम्बर, 2017 को जारी किए । इन आँकड़ों के अनुसार सन्दर्भित तिमाही में स्थिर मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद ;ळक्व्द्ध में वृद्वि 6ण्3ः रही हैं। जबकि सकल मूल्यवद्वेन ;ळन्।द्ध में वृद्वि 6ण्1ः रही हैं। इससे पूर्व पहली तिमाही (अप्रैल–जून, 2017) में जीडीपी वृद्वि 5ण्7ः रही थी। वर्ष 2017–2018 की पहली तिमाही में जीपीडी वृद्वि की यह दर ;5ण्7ःद्ध पिछले तीन वर्षो में इसकी न्यूनतम दर भी जीएसटी लागू होने से पहले व नये नोटो के निर्गमन के पश्चात्। सीएसओं के ताजा आँकड़ों के अनुसार 2017–2018 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्वि में यह सुधार जीएसटी लागू होने के बाद मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में तेज उछाल के कारण आया हैं। वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून, 2017) में विनिर्माणी क्षेत्र में मूल्यवद्वेन में वृद्वि 1.2 प्रतिशत ही थी, जो जुलाई–सितम्बर, 2017 में 7.0 प्रतिशत रही हैं। खनन निर्माण तथा विद्युत एवं गैस उपक्षेत्रों के निष्पादन में भी सुधार एवं वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में हुआ हैं।

वर्ष 2017–2018 की पहली दोनो तिमाहियों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई जीपीडी वृद्वि को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

**जीवीए में क्षेत्रवार वृद्वि**

| क्षेत्र | 2017–2018 प्रतिशत में | |
|---|---|---|
| | पहली तिमाही | दूसरी तिमाही |
| कृषि | 2.3 | 1.7 |
| खनन | –0.7 | 5.5 |
| विनिर्माण क्षेत्र | 1.2 | 7.0 |
| बिजली, गैस आदि | 7.0 | 7.6 |
| कंस्टक्शन | 2 | 2.6 |
| व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट व संचार सेवाऐं | 11.1 | 9.9 |
| वित्तीय सेवाऐं | 6.4 | 5.7 |
| पब्लिक एडमिस्ट्रेशन | 9.5 | 6.0 |
| | 5.6 (जीएसटी लागू होने से पहले) | 6.1 (जीएसटी लागू होने के बाद) |

' केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार

यही नहीं विश्व बैंक की वर्ष–2018 की डूइंग बिजनेस रिर्पोट में कारोबारी सुगमता सूचकांक के मामले में विगत 10 वर्षो (2009–2018) में भारत की रैंकिग में 30 अंकों का उछाल आया हैं। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा व गति प्राप्त हुई हैं। जहां वर्ष 2009 में भारत की रैकिंग 132वीं थी वही 2018 में 100वां स्थान हैं। इस प्रगति पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि रैकिंग में ऐतिहासिक सफलता (उछाल) भारत में किए गए बहुक्षेत्रीय व चहुमुखी सुधार का परिणाम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म व हॉसफार्म के मंत्र के साथ भारत सरकार इस रैकिंग को और बेहतर बनाने तथा आर्थिक विकास को नई ऊचाईयों पर ले जाने के प्रतिबद्व हैं।

देश में नोटबंदी, बायोमेट्रिक व्यवस्था के लिए आधार का विस्तार तथा जीएसटी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिला हैं। विश्व बैंक की डूंईग बिजनेस रिर्पोट में 30 अंको का उछाल पाने के पश्चात् मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को एक और बड़ा बल नवम्बर–2017 में उस समय प्राप्त हुआ, जब अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस

(MOODY'S) ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान ऊपर उठाते हुए इसे BAA-3 से AA-2 किया। 13 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् भारत की क्रेडिट रेटिंग में कोई सुधार किया गया हैं।

**फायदा**

भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बैंक की डूईग बिजनेस रिर्पोट में उछाल व मूडीज द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग में ताजा सुधार से विदेशी निवेशकों की भारत के प्रति विश्वसनीयता में वृद्वि होगी, जिससे विदेशी निवेश में वृद्वि के साथ–साथ अपेक्षाकृत कम ब्याज विदेशी ऋण की उपलब्धता हो सकेगी। यह देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में सहायक होगा।

मूडीज द्वारा 17 नवम्बर 2017 को जारी रिर्पोट में कहा गया था कि देश में नोटबंदी, बायोमेट्रिक व्यवस्था के लिए आधार का विस्तार व डायेरेक्ट बेनिफिट ट्रॉसफर (DBT) से सब्सिडी की राशि सही व्यक्ति तक पहुँचाने जैसे–उपाय, जीएसटी द्वारा एक देश एक कर का प्रावधान प्रभावी रहे हैं। जीएसटी व मानिट्टी फेमवर्क पालिसी में हुए सुधारों द्वारा ही देश में निर्यातों व आयातों में ऋणात्मक वृद्वि का दौर 2013 के बाद से अब 2018 में थमा हैं।

**सांराश**

अतः भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुद्वढ़ व सुविकसित करने के लिए जीएसटी लागू करना एक सफल प्रयास साबित हुआ हैं। जिससे भारत को अपने व्यापार व विदेश नीति को सुव्यवस्थित व गतिशील बनाने में सहायता मिलती हैं। जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब विभिन्न वस्तुओं पर एक ही बार कर चुकाना पड़ेगा। जिससे आम आदमी खुश हैं क्योंकि जीएसटी से विलासिता की वस्तुऐं महँगी हो गई है। और 17 उपयोगी मदें सस्ती हो गई हैं।

जिससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। नामुरा की रिर्पोट के मुताबिक 2018 में विकास दर बेहतर होकर 7.5 फीसदी होगी। इस रिर्पोट में कहा गया है कि भारत में मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण बेहतर बना हुआ हैं। सरकार द्वारा पिछले दिनों किए गये रिफार्मस से भारत में निवेश व कृषि के लिए पॉलिसी बनी हुई हैं। जिसके प्रभाव से बैंकों में भी पारदर्शिता आएगी, वे गरीबों को कर्ज देने में आनाकानी नहीं करेगे। छोटे उद्यमियों को भी उनके व्यापार के हिसाब से कर्ज मिलेगा। क्योंकि सब काम ऑनलाईन होगा। जीएसटी लागू होने से जहाँ भ्रष्टाचार में कमी आएगी, वही लाल फीताशाही भी कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पूरा देश एक साझा व्यापार बढ़ाने में सहायक होगा। जीएसटी के तहत कर संरचना आसान होगी और कर आधार रहेगा। जीएसटी लागू होने से यह माना जा सकता है कि निर्यात, रोजगार और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हुई हैं। इससे देश को सालाना 15 अरब की अतिरिक्त आमदनी भी होगी।

वहीं दूसरी ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम कम होने से उनकी खपत बढ़ेगी, इससे कम्पनियों का लाभ बढ़ेगा, पर टैक्स का औसत बोझ कम होगा, कर केवल बिक्री के स्थान पर लगने से उत्पादन लागत कम होगी। जिससे निर्यात बाजार में कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी जिसका प्रभाव मूडीज की रिर्पोट हैं ।

जीएसटी व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे एक कर के माध्यम से इन्हे अपने खातों को बनाना होगा। अतः अन्त में यह कहना चाहूँगी कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के सशक्तीकरण की दशा में बड़ा कदम साबित होगा।

**सहायक प्राचार्य,**
**एस.एस. जैन सुबोध पीजी कॉलेज, जयपुर**

**सन्दर्भ ग्रंथ सूची**

1.वस्तु एवं सेवा कर – एक परिचय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार की पुस्तिका

2.विकिपिडिया

3.प्रतियोगिता दर्पण–लेख / जनवरी / 2018 / 35 / 37

4.प्रतियोगिता दर्पण–लेख / जनवरी / 2017 / 79 / 81

5.समाचार पत्र – पत्रिका, समाचार जगत, दैनिक भास्कर